सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2022 / 276 दर्ज तिथिः—26.08.2022

1. पेमाराम पुत्र हिमताराम
   जाति जाट निवासी हुडों का तला तहसील नोखड़ा—बाड़मेर

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. पदमाराम पुत्र वालाराम
2. चेतनराम पुत्र वालाराम
3. नवलाराम पुत्र वालाराम
4. ठाकरराराम पुत्र वालाराम
5. अचलाराम पुत्र वालाराम
6. गेनाराम पुत्र वालाराम
7. नथाराम पुत्र वालाराम
   जाति जाट निवासी हुडों का तला तहसील नोखड़ा —बाड़मेर
8. तहसीलदार नोखड़ा

................विप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री जोगराज पोटलिया
श्री रिडमल चौधरी
अप्रार्थीगणः— चिमनसिंह चौधरी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—251ए
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—18.11.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी 185 / 0.01295 है0, 186 / 24.9286 है., 189 / 15.8151 है., वाके ग्राम हुडों का तला तहसील नोखड़ा में

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.24 13:42:51 IST
Reason: SelfAttested

अवस्थित है। प्रार्थी की आराजी तक पहुँच के प्रयोजन के लिए अप्रार्थीगण की आराजी हाल खसरा संख्या 187/3.5450 है. वाके ग्राम हुडों का तला तहसील नोखड़ा से होते हुए आवागमन करते आए हैं। परंतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी में फसल करने से प्रार्थी का रास्ता अवरूद्ध हो जाता है। इससे रास्ते को लेकर भारी विरोध रहता है एवं झगड़े की संभावना बनी रहती है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की आराजी तक वर्तमान में कोई रिकॉर्डेड रास्ता चालू नहीं है। अतः खसरा संख्या 187/3.5450 है. वाके ग्राम हुडों का तला तहसील नोखड़ा के सेढे से होकर प्रार्थी की आराजी तक नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु अनुतोष चाहा गया है। अंत में प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

जवाब/रिपोर्ट

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण हाजिर न्यायालय हुए। अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा से हाजा कार्यालय के पत्रांक/कोर्ट/आरए/2024/184 दिनांक 11.03.2024 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम–1955 के नियम–68 लगायत 70 के अनुसार पुनः मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आरए/2024/1175 दिनांक 06.05.2024 के अनुसार प्रेषित मौका रिपोर्ट तैयार करने में अपनायी गई प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः–

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or	पीठासीन अधिकारी द्वारा मय पटवारी स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records	प्रकरण में दिनांक 03.04.2024 को भू–अभिलेख द्वारा मय पटवारी स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त प्रार्थीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस कमांक 50–57 दिनांक 26.03.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 03.04.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त अप्रार्थीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस कमांक 50–57 दिनांक 26.03.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 03.04.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.24 13:42:51 IST
Reason: SelfAttested

	जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट का नजरी नक्शा निम्न प्रकार हैः—

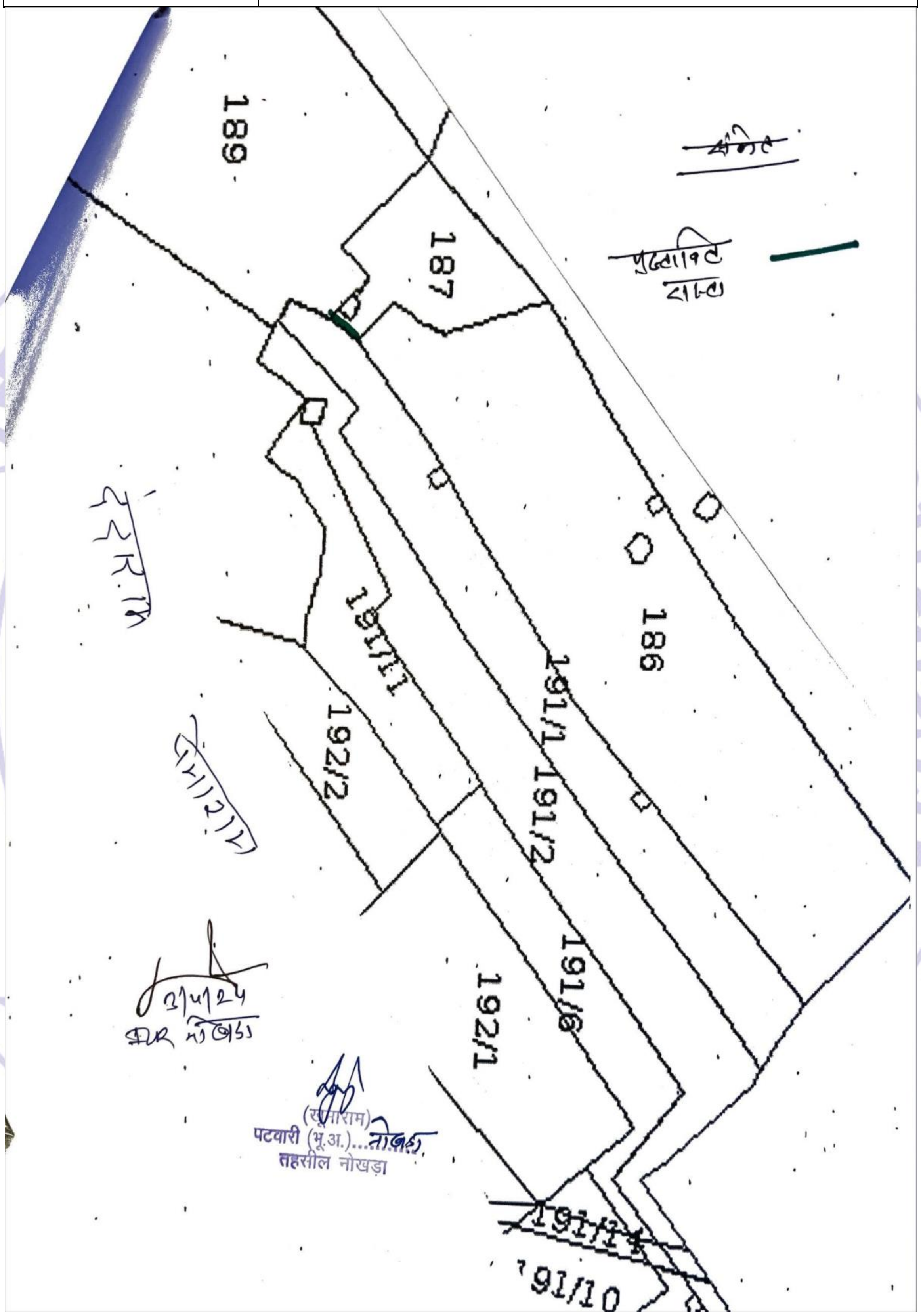

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.24 13:42:51 IST
Reason: SelfAttested

जिरह

3. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की जिरह सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने—ए—जिरह प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने—ए—जिरह तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आरए/2024/1175 दिनांक 06.05.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित मार्ग से रास्ता दिये जाने पर प्रस्तावित मार्ग में आने वाली अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी से भूमि देने की शर्त पर सहमति व्यक्त की। अप्रार्थीगण की उक्त शर्त पर प्रार्थीगण द्वारा सहमति प्रदान की गई।

कानूनी—प्रावधान

4. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार की मौका—रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है—

> ***251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way.*** *- (1) Where -*
>
> *(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or*
>
> *(b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that*
>
> *(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and*
>
> *(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.24 13:42:51 IST
Reason: SelfAttested

prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted or in lieu of payment of compensation, ***on transfer of land in exchange of equal area in the name of such tenant preferably having the same price and adjoining to his land.***

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है—

68. Application under Sec. 251-A. *- An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.*

69. Enquiry and disposal of application. *- On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-*

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. *- (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-*

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.24 13:42:51 IST
Reason: SelfAttested

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

विश्लेषण

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम—1955 के नियम—68 लगायत 70 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 251—क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी खातेदारी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद—रफत हेतु अन्य खातेदारों की खातेदारी आराजी में से होकर कुछ शर्तों के अधीन नवीन रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है—

1. *प्रार्थी हेतु रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।*
2. *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।*
3. *लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।*

वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—251—क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम—1955 के नियम—68 लगायत 70 द्वारा अध्यारोपित उक्त पूर्वशर्तो के तहत प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। सर्वप्रथम प्रथम शर्त *प्रार्थी हेतु रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति* का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत सर्वप्रथम यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है अथवा नहीं। उक्त शर्त के विश्लेषण में निम्न तीन स्थितियां सामने आती हैं:—

1. प्रथम स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता पूर्व से उपलब्ध है और उक्त रिकॉर्डेड रास्ता मौके पर चालू है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त रिकॉर्डेड रास्ते से ही आवागमन करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.24 13:42:51 IST
Reason: SelfAttested

चाहिए। इस स्थिति में उक्त आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

2. द्वितीय स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता पूर्व से उपलब्ध है और उक्त रिकॉर्डेड रास्ता मौके पर अतिक्रमण की वजह से चालू नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त रिकॉर्डेड रास्ते को मौके पर अतिक्रमण हटवाकर चालू करवाने के लिये संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। इस स्थिति में उक्त आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. तृतीय स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र को प्रथम शर्त को पुष्ट मानते हुए द्वितीय शर्त पर परखा जाना चाहिए।

8. उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या—2 में अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा भी अपने जवाब में उक्त शर्त के तथ्य का कोई खण्डन नहीं किया है। उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों द्वारा सहमति दिये जाने पर उक्त शर्त परिपूर्ण होती है। प्रकरण में राजस्व ग्राम हुडों का तला तहसील नोखड़ा के राजस्व नक्शे में प्रासंगिक भाग के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। इस प्रकार प्रकरण उक्त तृतीय स्थिति के अंतर्गत आता है एवं शर्त संख्या 01 की पूर्णरूप से पुष्टि प्रतीत होती है।

रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता

9. प्रथम शर्त की पुष्टि पश्चात् द्वितीय शर्त *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता* का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आवश्यकता आत्यांतिक है। उक्त शर्त के विश्लेषण में निम्न तीन स्थितियां सामने आती हैः—

1. प्रथम स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड/कट्टाण रास्ते/सड़क से आरम्भ होकर प्रार्थी की आराजी तक नवीन रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड एवं विद्यमान/मौके पर चालू रास्ते से आगे अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु रास्ता चाहा गया है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आवश्यकता आत्यांतिक प्रतीत होती है। उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि करता प्रतीत होता है।

2. द्वितीय स्थिति में प्रार्थी द्वारा पूर्व से ही प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंचने वाले लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होकर केवल मौके पर चालू कदीमी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.24 13:42:51 IST
Reason: SelfAttested

रास्ते/सड़क को धारा–251–ए के तहत विद्यमान मौके पर चालू कदीमी रास्ते/सड़क की चौड़ाई या विस्तारित चौड़ाई के रास्ते पर नवीन रिकॉर्डेड रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व से ही विद्यमान/मौके पर चालू रास्ते को ही रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु रास्ता चाहा गया है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आवश्यकता आत्यांतिक प्रतीत होता है। उक्त स्थिति में भी प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि करता प्रतीत होता है।

3. तृतीय स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड/कट्टाण रास्ते/सड़क से कोई संबंध नहीं रखता है तथा प्रार्थी द्वारा केवल एक या एक से अधिक खसरों से होकर नवीन रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु सम्पूर्ण रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु अनुतोष नहीं चाहा गया है। यहां यह संशय उत्पन्न होता है कि प्रार्थी द्वारा गलत मंशा से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक है। उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि नहीं करता प्रतीत होता है।

10. उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–2 में रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता का जिक्र किया गया है। उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों द्वारा सहमति दिये जाने पर उक्त शर्त परिपूर्ण होती है। उक्त प्रकरण में राजस्व ग्राम हुडों का तला तहसील नोखड़ा के राजस्व नक्शे में प्रासंगिक भाग के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। उक्त प्रकरण स्थिति संख्या 01 के अंतर्गत आता है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थी को नवीन रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आत्यांतिक प्रतीत होती है। इस प्रकार शर्त संख्या 02 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है।

लघुत्तम मार्ग का निर्धारण

11. अतः उक्त विश्लेषण के अनुसार शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क तथा राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम–1955 के नियम–68 लगायत 70 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होने के पश्चात् न्यायालय द्वारा तृतीय शर्त *लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव* बिन्दु पर विश्लेषण किया जाना है कि उक्त नवीन रास्ता किस आराजी में से होकर किस रूट से होकर कितनी चौडाई का **लघुत्तम मार्ग** रास्ता का अनुतोष स्वीकार किया जाना है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु प्रार्थना–पत्र में आवेदित रास्ते ही लघुत्तम रास्ता है अथवा अप्रार्थी/तहसीलदार मौका रिपोर्ट द्वारा लघुत्तम रास्ते का अन्य कोई विकल्प प्रस्तावित किया गया है। उक्त शर्त के विश्लेषण में निम्न दो स्थितियां सामने आती हैंः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.24 13:42:51 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रथम स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता ही लघुत्तम रास्ते का विकल्प है। इस हेतु संबंधित तहसीलदार की मौका रिपोर्ट/स्वयं पीठासीन अधिकारी के मौका निरीक्षण से उक्त शर्त की पुष्टि किया जाना आवश्यक है। उक्त स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते को ही लघुत्तम रास्ता माना जाना व्यावहारिक/कानूनन प्रतीत होता है।

2. द्वितीय स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता के अतिरिक्त अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते/नजदीकी रास्ते का विकल्प प्रस्तावित किया जाता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार की मौका रिपोर्ट/स्वयं पीठासीन अधिकारी के मौका निरीक्षण एवं पत्रावली के तथ्यों व राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन के साथ—साथ निम्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते/नजदीकी रास्ते के मार्ग का निर्धारण किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है:—

स्थिति	विवरण
1.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की लम्बाई एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प की लम्बाई के अंतर की सीमा।
2.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की लम्बाई एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प की लम्बाई के अंतर की व्यावहारिकता।
3.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प की प्रार्थी की रहवास/घर के संदर्भ में व्यावहारिकता।
4.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प में आने वाली आराजी के रकबे की अप्रार्थी की खातेदारी आराजी के रकबे के संदर्भ में व्यावहारिकता।
5.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प में आने वाली आराजी के रकबे की क्षतिपूर्ति की प्रकृति (राशि/भूमि के बदले भूमि) के संदर्भ में व्यावहारिकता।
6.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प पर अप्रार्थीगणों के मध्य सहमति/असहमति के संदर्भ में व्यावहारिकता।
7.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.24 13:42:51 IST
Reason: SelfAttested

	रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते / नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प पर प्रार्थी द्वारा पूर्व से आमद—रफत के संदर्भ में व्यावहारिकता।
8.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित / तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते / नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प से अन्य काश्तकारों को होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ के दृष्टिकोण के संदर्भ में व्यावहारिकता।
9.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित / तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते / नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प पर निर्माण / वृक्ष व अन्य सम्पतियों की अवस्थिति के दृष्टिकोण के संदर्भ में व्यावहारिकता।
10.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित / तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते / नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प से अप्रार्थी के खसरे / संयुक्त खसरों / मौके पर एकल चकबंदी के खसरों के विखण्डन के दृष्टिकोण के संदर्भ में व्यावहारिकता।
11.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित / तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते / नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प पर आने वाले खसरे / खसरों की संख्या के दृष्टिकोण के संदर्भ में व्यावहारिकता।
12.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित / तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते / नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प पर आने वाले खसरे / खसरों के खातेदारो की एकलता / बहुलता के दृष्टिकोण के संदर्भ में व्यावहारिकता।
13.	अन्य बिन्दु जो न्यायालय प्रकरण—दर—प्रकरण आवश्यक समझे।

5. इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प पर विचार किया जाना आवश्यक है। अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने—ए—जिरह तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / कोर्ट / आरए / 2024 / 1175 दिनांक 06.05.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में हरे रंग से अंकित प्रस्तावित मार्ग से रास्ता दिये जाने पर प्रस्तावित मार्ग में आने वाली अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी से भूमि देने की शर्त पर सहमति व्यक्त की। अप्रार्थीगण की उक्त शर्त पर प्रार्थीगण द्वारा सहमति प्रदान की गई। अतः प्रकरण में यथासंभव समस्त तथ्यों का विश्लेषण के पश्चात् तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / कोर्ट / आरए / 2024 / 1175 दिनांक 06.05.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में बैंगनी रंग से अंकित प्रस्तावित मार्ग से रास्ता ही लघुत्तम मार्ग का व्यावहारिक विकल्प प्रतीत होता है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते का विकल्प तथा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.24 13:42:51 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आरए/2024/1175 दिनांक 06.05.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में बैंगनी रंग से अंकित प्रस्तावित मार्ग से रास्ता के मार्ग को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

निष्कर्ष

12. उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आरए/2024/1175 दिनांक 06.05.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में हरे रंग से अंकित प्रस्तावित मार्ग से रास्ता मय नजरी नक्शा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क काबिल—ऐ स्वीकार है। अतः तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आरए/2024/1175 दिनांक 06.05.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में बैंगनी रंग से अंकित प्रस्तावित मार्ग से रास्ता मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रस्ताव लघुत्तम मार्ग बतौर 06 मीटर चौडाई का गैर मुमकिन रास्ता नियमानुसार भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान तथा भूमि उपलब्ध करवाने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रार्थी उक्त नवीन रास्ते में समाहित हुई अप्रार्थीगणों की खातेदारी आराजी के बदले समान अवस्थिति पर समान रकबे व गुणवत्ता की भूमि का विकल्प उपलब्ध करवाएं तथा अप्रार्थीगण अगर उस विकल्प पर सहमत हो तो उक्त प्रस्तावित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में कलमजन की जाकर अप्रार्थीगणों की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड की जावे। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आरए/2024/1175 दिनांक 06.05.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में हरा रंग से अंकित प्रस्तावित मार्ग से रास्ता मय नजरी नक्शा के अवलोकन पश्चात विश्लेषित निष्कर्ष प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता तथा उभयपक्षकारों की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार नोखड़ा को आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आरए/2024/ 1175 दिनांक 06.05.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में हरा रंग से अंकित प्रस्तावित मार्ग से रास्ता मय नजरी नक्शा में अंकित लम्बाई

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.24 13:42:51 IST
Reason: SelfAttested

में प्रार्थी द्वारा वांछित चौडाई, जो कि 30 फिट से अधिक नहीं हो, के रास्ते में आयी भूमि एवं निर्माण के एवज में राजस्थान सरकार राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 05.09.2023 के अनुसार प्रार्थी द्वारा उक्त नवीन रास्ते में आयी भूमि के एवज में समान अवस्थिति पर समान रकबे की भूमि का विकल्प के आधार पर अथवा क्षतिपूर्ति राशि के आधार पर उभयपक्षकारों की सहमति के आधार पर नियमानुसार उक्त नवीन रास्ते को खाता संख्या–1 सिवायचक में सार्वजनिक उपयोग हेतु किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अंकन किया जावें। भूमि के बदले भूमि की परिस्थिति में प्रार्थी उक्त नवीन रास्ते में समाहित हुई अप्रार्थीगणों की खातेदारी आराजी के बदले समान अवस्थिति पर समान रकबे व गुणवत्ता की भूमि का विकल्प उपलब्ध करवाएं तथा अप्रार्थीगण अगर उस विकल्प पर सहमत हो तो उक्त प्रस्तावित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में से कलमजन की जाकर अप्रार्थीगणों की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड की जावे। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आरए/2024/1175 दिनांक 06.05.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 18.11.2024 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.24 13:42:51 IST
Reason: SelfAttested